कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–माध्य./छात्रवृति/सेल–इ/शैक्षिक भ्रमण/19–20 दिनांक –09/09/2019

समस्त संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक–मुख्यालय

विषय :– विद्यार्थियों हेतु शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा 2019–20 के सम्बन्ध में निर्देश

विद्यार्थियों हेतु शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा के संबंध में योजना एवं वित्तीय प्रावधान राज्य सरकार के पत्रांक प017(2) शिक्षा–1/2011/दिनांक 22.1.2011 के द्वारा स्वीकृत किया गया जिसकी पालना में सत्र 2019–20 के लिए निर्देश प्रेषित किए जा रहे हैं। योजनानुसार राजकीय विद्यालयों के कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों के लिए अन्तर जिला एवं कक्षा 11 व 12 के लिए अन्तर राज्य शैक्षिक भ्रमण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अन्तर जिला और अन्तर राज्य शैक्षिक भ्रमण हेतु जो राशि स्वीकृत हुई है उसे अलग से जारी किया जा रहा है।

अन्तर जिला शैक्षिक भ्रमण का जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–मुख्यालय) को नोडल अधिकारी बनाया जाता है। अन्तर राज्य शैक्षिक भ्रमण हेतु संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, जयपुर को नोडल अधिकारी मनोनीत किया गया है। उक्त नोडल अधिकारी निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार क्रमशः अन्तर जिला और अन्तर राज्य शैक्षिक भ्रमण की क्रियान्विती करेंगे।

अन्तर राज्य शैक्षिक भ्रमण हेतु प्रस्तावित तिथियां (कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों के लिए)

1	छात्र/छात्राओं द्वारा संस्था प्रधान के माध्यम से जिशिअ माध्यमिक–मुख्यालय को आवेदन प्रस्तुत करना।	23.09.19
2	जिशिअ माध्यमिक–मुख्यालय द्वारा वरियता से छात्र/छात्राओं का चयन कर परिक्षेत्र के संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को नाम व आवेदन भेजना।	30.09.19
3	परिक्षेत्र के संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा जिलों से प्राप्त छात्र/छात्राओं नाम व दल प्रभारी के रूप में एक शिक्षक का नाम नोडल अधिकारी (संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जयपुर) को प्रेषित करना।	04.10.19
4	नोडल अधिकारी (संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जयपुर) द्वारा निदेशालय से शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम की अनुमति प्राप्त करना।	14.10.19
5	दस दिवसीय अन्तर राज्य शैक्षिक भ्रमण की अवधि।	22.10.19 से 02.11.19 के मध्य मध्यावधि अवकाश में।

अन्तर जिला शैक्षिक भ्रमण हेतु प्रस्तावित तिथियां (कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों के लिए)

क्र.स.	कार्यक्रम	तिथि / अवधि
1.	छात्र / छात्राओं द्वारा संस्था प्रधान के माध्यम से जिशिअ माध्यमिक–मुख्यालय को आवेदन प्रस्तुत करना	27.09.19
2.	जिशिअ माध्यमिक–मुख्यालय द्वारा वरियता से छात्र / छात्राओं का चयन कर संबंधित को सूचना करना।	07.10.19
3.	पांच दिवसीय अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण की अवधि	22.10.19 से 02.11.19 के मध्य मध्यावधि अवकाश में।

समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय व जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–मुख्यालय योजना की क्रियान्विति सुनिश्चित करें। शैक्षिक भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा व उचित देखभाल को ध्यान में रखते हुए यथोचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसी क्रम में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 28.7.14 के पत्र की छायाप्रति सलंग्न करते हुए लेख है कि उक्त पत्र में वर्णित मानक सुरक्षा मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाए तथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए।

सलंग्न–उपर्युक्तानुसार

(नथमल डिडेल)
(आई.ए.एस.)
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपी–

1. उप शासन सचिव– शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा।
3. उपनिदेशक, योजना कार्यालय हाजा।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा, को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्पादक, शिविरा पत्रिका को प्रकाशनार्थ

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए भारत /राजस्थान दर्शन शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन करने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश

विद्यार्थियों को शैक्षिक ज्ञान के साथ–साथ राज्य एवं देश के परिवेश, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक स्थिति, ऐतिहासिक स्थल एवं सांस्कृतिक स्थलों की व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध करवाई जानी भी आवश्यक है। इसके लिए विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम उपयोगी सिद्ध हो सकते है। इस हेतु योजना निम्नानुसार है :–

(1) उद्धेश्य

1. देश/राज्य के ऐतिहासिक/सांस्कृतिक/प्राकृतिक धरोहरो से परिचित कराना।
2. स्थापत्य कला की जानकारी कराना।
3. विद्यार्थियों को प्राकृतिक धरा का आनन्द उठाने का अवसर प्रदान करना।
4. विद्यार्थियों को सामुदायिक जीवन से जोड़ना।
5. विद्यार्थियों के लिए पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त अन्य ज्ञान की वृद्धि करना।

(2) चयन प्रक्रिया

(अ) अन्तर जिला शैक्षिक भ्रमण एवं विद्यार्थी योग्यता :–

1. राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय पर राज्य के अन्य जिले में 5 दिवसीय राजस्थान दर्शन कार्यक्रम अन्तर्गत शैक्षिक भ्रमण हेतु भेजा जायेगा।

2. योग्यता :–
    - राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थी जिन्होंने गत परीक्षा (कक्षा 8 एवं 9) में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त किये।
    - राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं खेलकूद प्रतियोग्यता में भाग लेकर सहभागी/विजेता रहे हों।

(ब) अन्तर राज्य शैक्षिक भ्रमण एवं विद्यार्थी योग्यता :–

1. राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय पर अन्य राज्य में 10 दिवसीय भारत दर्शन कार्यक्रम अन्तर्गत शैक्षिक भ्रमण हेतु भेजा जायेगा।

2. योग्यता :–
    - राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थी जिन्होंने गत परीक्षा (कक्षा 10 एवं 11) में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो।

- राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेकर सहभागी/विजेता रहे हों।

(3) विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की संख्या :–

(अ) अन्तर जिला शैक्षिक भ्रमण :– प्रत्येक जिले के 20 विद्यार्थी (कक्षा 9 के 10 एवं कक्षा 10 के 10) एवं 02 अध्यापक।

(ब) अन्तर राज्य शैक्षिक भ्रमण :– अधिकतम 66 विद्यार्थी (प्रत्येक जिले से कक्षा 11 का 01 एवं कक्षा 12 का 01 विद्यार्थी) एवं 09 अध्यापक (प्रत्येक मण्डल से 01)

(4) मेरिट का निर्धारण :–

अन्तर जिला/अन्तर राज्य शैक्षिक भ्रमण के लिए विद्यार्थियों का चयन पूर्णतः वस्तुस्थिति प्रणाली (Objective Pattern) के आधार पर किया जाएगा। छात्र–छात्रा द्वारा गत वर्ष की परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत को 80 प्रतिशत श्रेयांस Weightage दिया जायेगा तथा राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर खेलकूद/सांस्कृतिक, साहित्यिक प्रतियोगिताओं में सहभागिता (Participation) के लिए खेलकूद के 15 अंक (राष्ट्रीय स्तर 15, राज्य स्तर 10) सांस्कृतिक/साहित्यिक के 05 अंक (राष्ट्रीय स्तर 05, राज्य स्तर 03 अंक) दिये जायेगे।

(5) विद्यार्थियों से आवेदन एवं चयन प्रक्रिया :–

(अ) अन्तर जिला शैक्षिक भ्रमण :– जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–मुख्यालय) द्वारा जिले में संस्था प्रधान के माध्यम से प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय पर प्राप्त आवेदन पत्रों का अवलोकन कर निर्धारित मेरिट प्रक्रिया द्वारा शैक्षिक भ्रमण हेतु विद्यार्थियों का चयन किया जायेगा। चयनित विद्यार्थियों को निर्धारित समय पर राज्य के अन्य जिलों के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थानों पर 05 दिवस के लिये भ्रमण पर भेजा जायेगा।

(ब) अन्तर राज्य शैक्षिक भ्रमण :– राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा अपने संस्था प्रधान के माध्यम से प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–मुख्यालय) को आवेदन किया जा सकता है। जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–मुख्यालय) द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रो की जांच कर निर्धारित मेरिट प्रक्रिया के द्वारा कक्षा 11 का 01 एवं कक्षा 12 का 01 विद्यार्थी का चयन किया जायेगा तथा चयनित विद्यार्थियों के नाम एवं आवेदन पत्र की प्रति मय पूर्ण विवरण अपने परिक्षेत्र के संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को भेजेगें। संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा जिलो से प्राप्त चयनित छात्र/छात्राओं के नाम, आवेदन पत्र की प्रति मय पूर्ण विवरण सहित एवं प्रभारी के रूप में 01 अध्यापक का नाम संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जयपुर (नोडल अधिकारी) को भेजेगें। नोडल अधिकारी द्वारा समस्त जिलों से प्राप्त चयनित विद्यार्थियों को अन्य राज्यों के ऐतिहासिक एवं सांस्कृति महत्व के स्थानों पर विभाग द्वारा निर्धारित समय पर 10 दिवसीय यात्रा पर भेजा जायेगा। यात्रा दल के साथ एक संस्था प्रधान (माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय) को दल प्रभारी के रूप में नोडल अधिकारी द्वारा लगाया जायेगा। नोडल अधिकारी समस्त कार्यक्रम तैयार कर पूर्ण अनुमति निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से प्राप्त करेगें।

(6) यात्रा व्यय :–

विद्यार्थियों की यात्रा का सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। इस हेतु बजट राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा। यह बजट संबंधित नॉडल अधिकारी को आवंटित किया जायेगा जो संबंधित दिशा–निर्देशों एवं वित्तीय नियमों की पालना करते हुए व्यय करेगा। अध्यापक की यात्रा का सम्पूर्ण व्यय यात्रा भत्ता नियमों के तहत राजकीय मद से देय होगा। यह विद्यार्थियों के व्यय में सम्मिलित नहीं होगा, तथा समस्त लेखे विधिवत संधारित करते हुए व्यय विवरण उप निदेशक (योजना) एवं लेखाधिकारी (बजट) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को नियमानुसार यथा समय प्रस्तुत करेगें।

यात्रा व्यय विवरण (अन्तर राज्य शैक्षिक भ्रमण)

क. सं	विवरण प्रति विद्यार्थी प्रस्तावित व्यय (10 दिवसीय) रूपये		गणना (दर x विधार्थी संख्या)	अनुमानित राशि (प्रति जिला)
1	किराया (10 दिवसीय)	–	–	3,00,000/–
2	भोजन (150 रू. प्रतिदिन)	1500/–	1500X66	99,000/–
3	अल्पाहार (60 रू. प्रतिदिन)	600/–	600X66	39,600/–
4	आवास/टेन्ट (100 रू.प्रतिदिन)	1000/–	1000X66	66,000/–
5	अन्य व्यय (50रू. प्रतिदिन)	500/–	500X66	33,000/–
	योग :–		3,600X66	5,37,600/–

यात्रा व्यय विवरण (अन्तर जिला शैक्षिक भ्रमण)

क.सं	विवरण प्रति विद्यार्थी प्रस्तावित व्यय (5 दिवसीय) रूपये		गणना (दरXविधार्थी संख्या)	अनुमानित राशि (प्रति जिला)
1	किराया मीनी बस	2000	2000 X 20	40,000/–
2	भोजन (150 रू. प्रतिदिन)	750	750 X 20	15000/–
3	अल्पाहार(60 रू. प्रतिदिन)	300	300 X 20	6000/–
4	आवास/टेन्ट 100 रू.प्रतिदिन	500	500 X 20	10000/–
5	अन्य व्यय 50रू. प्रतिदिन	250	250 X 20	5000/–
	योग :–		3800 X 20	76000/–

(7) नोडल अधिकारी :—
(अ) अन्तर जिला शैक्षिक भ्रमण :— जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक—मुख्यालय)
(ब) अन्तर राज्य शैक्षिक भ्रमण :— **संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जयपुर**

(8) प्रतिवेदन :—

अन्तर जिला एवं अन्तर राज्य दर्शन हेतु शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थी एवं अध्यापक विधिवत यात्रा वृतान्त लिखेंगे। इस हेतु उन्हें एक डायरी एवं बॉल पेन उपलब्ध करवाया जाएगा। सभी अध्यापक सम्भागीयों में से किसी एक को मुख्य प्रतिवेदक यात्रा के प्रबन्धक नॉडल अधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा जो यात्रा उपरान्त सभी यात्रा सहभागी अध्यापको/विद्यार्थियों से उनकी रिपोर्ट प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित नॉडल अधिकारी को प्रस्तुत करेगें।

(नथमल डिडेल)
(आई.ए.एस.)
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

आवेदन–पत्र

राजस्थान दर्शन शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा हेतु छात्र/छात्रा हेतु आवेदन (अन्तर जिला)

फोटो प्रमाणित

1. छात्र/ छात्रा का नाम..
2. पिता का नाम ....
3. जन्म तिथि..
4. कक्षा (जिसमें अध्ययनरत है)..
5. विद्यालय का नाम ....
6. विद्यालय का स्कॉलर रजिस्टर क्रमांक..
7. घर/पत्र व्यवहार का पता ....
....
....
8. घर का फोन नं0..मोबाईल नं0..
9. शैक्षिक सत्र 2018–19 में उत्तीर्ण परीक्षा का वर्णनः–

कक्षा	कुल अंक	प्राप्तांक	उत्तीर्ण प्रतिशत
कक्षा 8: (कक्षा 9 में अध्ययनरत)			
कक्षा 9: (कक्षा 10 में अध्ययनरत)			

10. शैक्षिक सत्र 2018–19 में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित खेलकूद गतिविधि में सम्भागित्व (प्रमाण–पत्र प्रति सलंग्न करे) :–

स्तर	गतिविधि का नाम	आयोजन स्थल
राज्य स्तर		
राष्ट्र स्तर		

11. शैक्षिक सत्र 2018–19 में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित साहित्यिक/सांस्कृतिक गतिविधि में सम्भागित्व (प्रमाण–पत्र प्रति सलंग्न करे) :–

स्तर	गतिविधि का नाम	आयोजन स्थल
राज्य स्तर		
राष्ट्र स्तर		

आवेदन पत्र के साथ मेरे द्वारा आवश्यक प्रमाणित प्रमाण पत्र सलंग्न कर दिये गये हैं। आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य पूर्णतया सत्य हैं। मै अन्तर जिला शैक्षिक भ्रमण हेतु जाना चाहता हूँ।

छात्र/ छात्रा के हस्ताक्षर

अभिभावक द्वारा सहमति

मैं (नाम).. अपने पुत्र/पुत्री नाम को विभाग द्वारा आयोजित अन्तर जिला शैक्षिक भ्रमण हेतु पांच दिवसीय राजस्थान दर्शन यात्रा पर भेजने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

हस्ताक्षर
(नाम अभिभावक)

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित

आवेदन पत्र मूं अंकित सभी सूचनाओं एवं प्रलेखों की सत्यतात की जांच स्वयं मेरे द्वारा कर ली गई है। छात्र/ छात्रा के अन्तर जिला शैक्षिक भ्रमण के लिए अनुशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान
(मय मोहर)

आवेदन–पत्र

भारत दर्शन शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा हेतु छात्र/छात्रा हेतु आवेदन
(अन्तर राज्य)

फोटो प्रमाणित

1. छात्र/ छात्रा का नाम..
2. पिता का नाम ....
3. जन्म तिथि..
4. कक्षा (जिसमें अध्ययनरत है)..
5. विद्यालय का नाम ....
6. विद्यालय का स्कॉलर रजिस्टर क्रमांक..
7. घर/पत्र व्यवहार का पता ....
....
....
8. घर का फोन नं0...मोबाईल नं0..
9. शैक्षिक सत्र 2018–19 में उतीर्ण परीक्षा का वर्णन:–

कक्षा	कुल अंक	प्राप्तांक	उतीर्ण प्रतिशत
कक्षा 10: (कक्षा 11 में अध्ययनरत)			
कक्षा 9: (कक्षा 12 में अध्ययनरत)			

10. शैक्षिक सत्र 2018–19 में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित खेलकूद गतिविधि में सम्भागित्व (प्रमाण–पत्र प्रति सलंग्न करे) :–

स्तर	गतिविधि का नाम	आयोजन स्थल
राज्य स्तर		
राष्ट्र स्तर		

11. शैक्षिक सत्र 2018–19 में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित साहित्यिक/सांस्कृतिक गतिविधि में सम्भागित्व (प्रमाण–पत्र प्रति सलंग्न करे) :–

स्तर	गतिविधि का नाम	आयोजन स्थल
राज्य स्तर		
राष्ट्र स्तर		

आवेदन पत्र के साथ मेरे द्वारा आवश्यक प्रमाणित प्रमाण पत्र सलंग्न कर दिये गये हैं।

आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य पूर्णतया सत्य हैं। मै अन्तर जिला शैक्षिक भ्रमण हेतु जाना चाहता हूँ।

छात्र/ छात्रा के हस्ताक्षर

अभिभावक द्वारा सहमति

मैं (नाम).. अपने पुत्र/पुत्री नाम को विभाग द्वारा आयोजित अन्तर राज्य शैक्षिक भ्रमण हेतु दस दिवसीय यात्रा पर भेजने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

हस्ताक्षर
(नाम अभिभावक)

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित

आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचनाओं एवं प्रलेखों की सत्यतात की जांच स्वयं मेरे द्वारा कर ली गई है। छात्र/ छात्रा के अन्तर जिला शैक्षिक भ्रमण के लिए अनुशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान
(मय मोहर)

Standard safety measures

(i) The Head of the Institution should ensure that the tour undertaken is required for the benefit of students and is related to the curriculum of the course in which such students are enrolled.

(ii) The Head of the Institution should ensure issuing security i-cards to all such students and maintain a separate data base of the personal details like guardian/local guardian, home address, mobile, email etc. of such students and the same is carried by the students on his person.

(iii) The Head of the Institution should ensure that written permission of one of the parents or the local guardian is submitted on behalf of every such student wanting to participate in an educational tour.

(iv) The Head of the Institution should ensure that there is a senior teacher accompanying the students on such an educational tour. Further, a senior lady teacher should accompany if there are girl students participating in the educational tour.

(v) The Head of the Institution should ensure that prior permission of the organisation is obtained in advance such educational tours are undertaken.

(vi) If the tour is undertaken to public places, dam sites, power plants, sea beaches etc., a written communication must be made to the District Magistrate or concerned authorities.

(vii) If the educational tour has more than 10 participants, it is necessary to hire a local tour operator who is well award of the local conditions and can advise accordingly.

(viii) The Head of the Institution should ensure that an undertaking is taken from every participating student that they would abide by all the rules and also that they have submitted the permission by their parents or local guardian before they participate in the educational tour.

(ix) The Head of the Institution should also certify in the form of an undertaking that the institute will provide all necessary help in case of emergency or otherwise to all such students who are part of the educational tour.

--000--

Scanned by CamScanner

Radha Chauhan, IAS
Joint Secretary
Tele No. 23386132
Fax No. 23384306

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY
SHASTRI BHAWAN,
NEW DELHI - 110 115

D.O.No.32-5/2014-RMSA-I

July 28, 2014

Dear Sh. Goyal,

Recent tragedy involving students on study tour has once again underlined the need for putting in place a set of standard safety measures by the institutions that undertake such tours.

2. States have been organising study tours for its students and teachers in schools under various schemes of the States as well as Government of India such as the SSA, RMSA etc. There is a need to ensure basic safety measures before a school embarks on such tours.

3. States are requested to kindly issue appropriate guidelines so that necessary safety measures are [illegible] in all schools. Please find enclosed a set of recommendations [illegible] that you may like to consider while formulating the State guidelines.

Yours sincerely,

(Radha Chauhan)

Shri Pawan Kumar Goyal,
Principal Secretary,
Government of Rajasthan,
Deptt. of Ele., Sec. & Sanskrit Education,
Room No.209, Govt. Secretariat, C-Scheme,
Jaipur-302 005.

Scanned by CamScanner